न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः नमित मेहता आई.ए.एस

प्रकरण संख्या 87/2023 अपील (राजस्व)

GCMS No. 2023/119

1. डालचन्द पिता उंकार मेघवाल निवासी सरवाणिया, पटवार क्षेत्र पीथलपुर, तहसील कानोड जिला उदयपुर
2. शंकरलाल पिता उंकार मेघवाल निवासी सरवाणिया, पटवार क्षेत्र पीथलपुर, तहसील कानोड जिला उदयपुर
3. चम्पालाल पिता उंकार मेघवाल निवासी सरवाणिया, पटवार क्षेत्र पीथलपुर, तहसील कानोड जिला उदयपुर
4. अम्बालाल पिता उंकार मेघवाल निवासी सरवाणिया, पटवार क्षेत्र पीथलपुर, तहसील कानोड जिला उदयपुर

—— अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कानोड, जिला उदयपुर (राज.)

—— रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध निर्णय तहसीलदार कानोड प्रकरण संख्या 1/2019 ना. क. दिनांकित 18.12.2019 जो

उपस्थित : श्री अनिल टेलर, अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री कल्पित जैन, पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः– 29/12/25

अपीलार्थीगण द्वारा अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आलोच्य आदेश में अपीलार्थीगण को खसरा संख्या 174 मी. रकबा 0.05 हेक्टेयर का अतिक्रमी घोषित कर दिया गया है जो कि विधिसम्मत नही है। अपीलार्थी बाप दादाओं के समय से वादग्रस्त भूमि पर काबिज काश्त है तथा कृषि उपज लेते चले आ रहे है साथ ही उनके द्वारा पुराने मकान जो कि जर जर होकर गिराउ हो चुके थे को ध्वस्त कर पक्के मकान बनाये गये है तथा मौके पर मय परिवार निवासरत है किन्तु प्रार्थीगण के तर्को पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई मंतव्य व्यक्त नही किया गया एवं आलोच्य आदेश पारित कर दिया गया है। अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय से मौके की रिपोर्ट मंगवा लेने का निवेदन किया गया लेकिन मौके की कोई रिपोर्ट मौके पर आकर

जिला कलक्टर
उदयपुर

नही बनाई गई बल्कि मनमाफिक पर्चा मौका, नजरी नक्शा बना लिया गया जो विधिसम्मत नही है क्योंकि विधि यह प्रवक्त करती है कि बिना दूसरे पक्ष को सुने कोई प्रभावी आदेश पारित नही किया जायेगा किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण विधिक स्थिति का ज्ञान नही रखा है। तथाकथित रिपोर्ट मौजा सरवाणिया पटवार मण्डल पीथलपुरा द्वारा दिनांक 14.06.2019 को निर्मित की गई है वह मात्र राज्य पक्ष के अधिकारियों द्वारा निर्मित की गई है तथा बिना प्रार्थीगण को जानकारी दिये एवं बिना उनकी उपस्थिति में निर्मित की गई है जो कि एक पक्षीय होकर इसमें विधिक बल का अभाव है तथा इस पर्चा मौका के आधार पर ही की गई कार्यवाही विधि सम्मत नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में अंकित किया कि अपीलार्थीगण द्वारा आराजी नम्बर 174 मी. पर अतिक्रमण किया है जबकि उक्त पर्चे मौके में इस सम्बन्धी तथ्य कही पर भी अंकित नही है यहां तक कि जो तथाकथित नक्शा मौका बताया गया है उसमें ग्राम सरवाणिया से निम्बाहेडा जाने वाली सडक का न तो नाप अंकित है न ही राजस्व अभिलेखो में इसकी लम्बाई चौडाई कितनी दर्ज है तथा पर्चा मौका व राजस्व अभिलेखों में आये अन्तर को ही इस नक्शा मौका में अंकित नही किया गया है इस प्रकार आराजी संख्या 174 मी. के सम्बन्ध में जो तथ्य अंकित किय गये है वे विधि सम्मत नही है। मौका रिपोर्ट में कही पर भी तथाकथित सडक के आवागमन में बाधा या अवरोध उत्पन्न होना अंकित नही है किन्तु मात्र कतिपय लोगो द्वारा की गई शिकायत के आधार पर दबाव में किया गया निर्णय विधि सम्मत नही होकर अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में कुछ हिस्से को अतिक्रमण दर्शित किया है लेकिन तथाकथित कुछ हिस्से को कही पर भी गणनात्मक रूप से परिभाषित या अंकित नही किया है। राजस्व ग्राम सरवाणिया में कतिपय 20 अन्य अतिक्रमियों के विरूद्ध अपीलार्थीगण ने अपनी व्यथा प्रस्तुत की थी लेकिन इस व्यथा का कोई निवारण न कर मात्र अपीलार्थीगण के विरूद्ध की कार्यवाही की गई है जो कि न्यायालय के पूर्वाग्रह को दर्शित करती है। कतिपय व्यक्ति अपीलार्थी से इतना दुराभाव रखते है कि विधिवत रूप से अपीलार्थीगण को आंवटित भूमि को उन्होनें येनकेन प्रकारेण चुनौती देने का कृत्य किया है जो उनकी दुरमंशा को दर्शित करता है तथा इन्ही कतिपय व्यक्तियों के दबाव में आलोच्य आदेश पारित किया गया है। अपीलार्थीगण आदिकाल से उक्त भूमि पर पशुपालन व कृषि कार्य करते चले आ रहे है एवं कई समय से कब्जेधारी है मात्र उक्त भूमि राजस्व अभिलेखो मे सडक दर्ज हो जाने के कारण अपीलार्थी को अतिक्रमी की संज्ञा दी गई जो कि विधि सम्मत नही है। विधि यह प्रवृत्त करती है कि

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट उदयपुर (राज.)

जिला कलक्टर
उदयपुर

जमाबंदी एवं अन्य लेखा प्रविष्टियां मात्र राजकोषीय प्रविष्टि है तथा यह न तो किसी के पक्ष में किसी भी अधिकार का सृजन करती है न ही किसी व्यक्ति के उपलब्ध एवं अस्तित्व में आए अधिकारों को समाप्त करती है यह प्रविष्टियां मात्र राजकोषीय प्रविष्टियां है एवं इन्हें जब तक विधिवत साक्ष्य से पुष्ट न कर दी जावे या इनका विधिवत साक्ष्य से खण्डन न कर दिया जावे इनके आधारों पर किसी भी व्यक्ति को स्वामी होना या अतिक्रमी होना नही माना जा सकता है। यदि कोई शिकायती पत्र प्राप्त भी हुआ तो बिना अपीलार्थी को सुने और उसका पक्ष जाने प्रकरण का निस्तारण नही किया जा सकता। जिन व्यक्तियों ने अपीलार्थीगण के विरूद्ध शिकायत की है वह स्वयं एक अतिक्रमी है। हस्तगत प्रकरण अत्यन्त जल्दबाजी में निस्तारित किया जाना स्पष्ट है क्योंकि प्रकरण में दिनांक 17.12.2019 को सूचना पत्र के अग्रेषण में 18.12.2019 को प्रकरण वास्ते सीधे ही निर्णय में नियत कर दिया गया जबकि प्रकरण वास्ते बहस नियत किया जाना आवश्यक था। शिकायत दिनांक 06.03.2019 को कतिपय व्यक्तियों द्वारा पेश की गई वह सडक के बारे में पेश नही की गई है बल्कि शमशान भूमि के बारे में प्रस्तुत की गई है जबकि निर्णय सडक का अवलम्ब लेते हुए पारित किया गया है इस प्रकार सम्पूर्ण प्रकरण दूषित प्रक्रिया से ग्रस्त होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। आलोच्य आदेश की कोई जानकारी अपीलार्थीगण को नही दी गई व प्रकरण सीधे ही निर्णित कर दिया गया जिसकी अपीलार्थीगण को पूर्व में जानकारी नही हो पाई क्योंकि निर्णय के तुरन्त उपरान्त शीतकालीन अवकाश हो गया तथा एतदपश्चात कोविड महामारी के कारण अपीलार्थीगण अपने प्रकरण की जानकारी करते उससे पूर्व ही उनके अधिवक्ता को कोविड काल में असामयिक निधन हो गया तथा कोई जानकारी अपीलार्थीगण को नही हो पाई अभी हाल ही मे अपीलार्थीगण के विरूद्ध आंवटन निरस्ती हेतु प्रस्तुत हुआ जिसमें पठन करने पर अपीलार्थीगण को आलौच्य आदेश की जानकारी हुई अतः आलोच्य आदेश अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थीगण को अतिक्रमी नही होना घोषित कराया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेण्ट को जरिये नोटिस तलब किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेण्ट की ओर से पेरोकार सरकार द्वारा जवाब प्रस्तुत नही कर सीधे ही बहस की गई।

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा अपनी अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि राजस्व ग्राम सरवाणिया की आराजी संख्या 174 मी. के सम्बन्ध में कतिपय व्यक्तियों द्वारा शिकायत करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना मौका जांच किए, बिना अपीलार्थी को सुने निर्णय पारित कर दिया

न्यायालय जिला कलक्टर उदयपुर (राज.)

जिला कलक्टर
उदयपुर

है जो कि अपास्त योग्य है। उक्त आराजी की किस्म राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज है किन्तु आदिकाल से अपीलार्थी द्वारा उक्त भूमि पर पशुपालन व कृषि कार्य करते चले आ रहे है एवं कई समय से कब्जेधारी है मात्र उक्त भूमि राजस्व अभिलेखो में सडक दर्ज होने के कारण अपीलार्थी को अतिक्रमी की संज्ञा दी गई है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जावे।

पेरोकार सरकार द्वारा अधिवक्ता अपीलाण्ट के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखो में किस्म रास्ता दर्ज है एवं उक्त भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गये है अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी हल्का रिपोर्ट अनुसार ग्राम सरवानिया के आराजी नम्बर 174 मी. रकबा 5–13 बीघा मे से 0–05 बीघा किस्म रास्ता पर अतिक्रमण कर कच्चा/पक्का निर्माण किया हुआ है। अपीलाण्ट का कथन है कि वर्षो से उक्त भूमि पर हमारा कब्जा है एवं कच्चा पक्का निर्माण किया हुआ है किन्तु अपीलाण्ट द्वारा उक्त भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है। उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में किस्म रास्ता दर्ज होने से नियमन योग्य भी नही है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है। साथ ही तहसीलदार कानोड़ को निर्देशित किया जाता है कि यदि उक्त रास्ते पर अन्य कोई अतिक्रमण पाया जाता है तो नियमानुसार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही अमल में लावे। निर्णय की प्रति मय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तहसीलदार कानोड को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर उदयपुर (राज.)

(नमित मेहता)
जिला कलक्टर
उदयपुर